

बिहार विधान सभा के चालू सत्र में दिनांक –30.07.13 को प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना

श्री अश्विनी कुमार चौबे, स0वि0स0 द्वारा प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग का वक्तव्य

ध्यानाकर्षण सूचना

“उत्तराखंड के केदारनाथ में ध्यानाकर्षणकर्ता सदस्य के साथ गये 15 लोगों में से 07 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें मेरे सुरक्षाकर्मी फूलन ओझा, देवेन्द्र प्रसाद सिंह (विशेष शाखा), अजय कुमार मिश्रा (पटना जिला बल), निम्नवर्गीय लिपिक (बाह्य) रमण जी तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा, संगीता मिश्रा एवं भागलपुर के पं० दीनानाथ झा शामिल है । इसकी सूचना घटना के तुरन्त बाद सरकार के आलाधिकारियों सहित संबंधित जिला प्रशासन को दी जा चुकी है, इसके बावजूद इन लोगों का नाम मृत सूची में नहीं है । इसके अलावे प्रदेश के सैकड़ों मृत लोगों की सूची भी प्रकाशित नहीं की जा रही है । इतने गंभीर मामले पर सरकार पूरी तरह उदासीन है । मृतक तीनों सुरक्षाकर्मियों के परिजनों से अब तक सरकार एवं प्रशासन का कोई प्रतिनिधि मिलने तक नहीं गया । सरकार द्वारा अब तक मृतकों की सूची जारी नहीं करने के कारण उनके परिजनों के समक्ष भ्रम की स्थिति है ।

अतः उत्तराखंड त्रासदी में मृत लोगों की सूची जारी कर उन्हें मुआवजा देने एवं सरकारी कर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने हेतु हमस दन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करते हैं ।

श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग का दिनांक –30.07.2013 को दिया जाने वाला वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि उत्तराखंड जून 2013 में घटित प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने एवं जानकारी प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य आपात्कालीन संचालन केन्द्र की 24 x 7 (दूरभाष सं०-0612-2217305) स्थापना की गई थी एवं पत्रांक –2445 दिनांक –21.06.2013 द्वारा सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई । माननीय स0वि0स0 एवं उनके परिवार के संबंध में राज्य नियंत्रण कक्ष द्वारा रुद्रप्रयाग जिले के नियंत्रण कक्ष (दूरभाष सं०-01364-233727) से निरंतर संपर्क बनाये रखा गया एवं प्रशासन से अनुरोध कर उनको एवं उनके परिवार के सदस्यों को पहुँचाया गया ।

विभागीय पत्रांक –2460 दिनांक –22.06.2013 से माननीय मुख्यमंत्री के निदेशानुसार देहरादून उत्तराखंड में बिहार तीर्थ यात्रियों की सुविधा एवं सहायता हेतु शिविर कार्यालय (दूरभाष सं०-0986214635) की स्थापना की गई जिसका नेतृत्व श्री रवीन्द्र पवार, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की गई । इनके सहयोग हेतु अपर पुलिस महानिदेशक श्री दिनेश सिंह विष्ट एवं बिहार भवन से संयुक्त श्रमायुक्त श्री अखलाक अहमद अन्य कर्मचारियों सहित प्रतिनियुक्त किये गये । आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा देहरादून स्थित सहायता शिविर कार्यालय को 4 वरिष्ठ उपसमाहर्ताओं की सेवा उपलब्ध करायी गई, जिन्हें बिहार के तीर्थ यात्रियों को वाहनों से आंतरिक क्षेत्रों से परिवहन कराकर देहरादून /हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँचाने एवं भोजन आदि कराने की जिम्मदारी दी गई । माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रू० की राशि देहरादून स्थित सहायता शिविर को उपलब्ध कराया गया, जिससे के आपदा पीड़ित तीर्थयात्रियों को

आपदाग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकालकर देहरादून, ऋषिकेश एवं हरिद्वार तक पहुँचाने एवं इनके भोजन आदि की व्यवस्था की जा सके ।

तीर्थ यात्रियों को देहरादून हरिद्वार नई दिल्ली से विशेष पास उपलब्ध कराते हुए उपासना एक्सप्रेस /दून एक्सप्रेस/विशेष ट्रेनों के द्वारा पटना/गया /मुजफ्फरपुर भेजा गया । विभागीय पत्रांक -2493 दिनांक -24.06.2013 द्वारा पटना, गया आदि जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि हरिद्वार, देहरादून एवं नई दिल्ली से पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर पहुँचने वाले तीर्थ यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर भोजन एवं गंतव्य स्थल तक पहुँचने हेतु वाहन की व्यवस्था कराई जाय । पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर पहुँचने वाले तीर्थ यात्रियों को भोजन एवं वाहन उपलब्ध कराते हुए गंतव्य स्थल तक भेजा गया ।

विभिन्न स्रोतों से राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को कुल 820 तीर्थ यात्रियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई, जिनकी सूची तैयार की गई । इनमें से मात्र 58 व्यक्ति ही अभी तक लापता हैं । इन 58 लोगों की सूची विभागीय पत्रांक -3062/आ0प्र0 दिनांक -22.07.2013 द्वारा उत्तराखंड सरकार को अग्रतर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है । उत्तराखंड मुख्य सचिव के पत्रांक -36 दिनांक -22.07.2013 द्वारा देश के सभी मुख्य सचिव को सूचित किया गया है कि विहित प्रपत्र में मात्र तमिलनाडु, बिहार और हरियाणा से ही लापता लोगों की प्रमाणित सूची प्राप्त हुई है । यह सूची विभागीय वेब साइट <http://www.disastermgmt .bih.nic.in> पर भी उपलब्ध है । शेष लोग अपने घरों पर सकुशल पहुँच चुके हैं ।

उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 1 लाख रु0 आपदा प्रबंधन मद से अनुग्रह अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने हेतु संकल्प सं0-2881 दिनांक -12.07.2013 द्वारा प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष 1 लाख रु0 अनुग्रह अनुदान में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय है । मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई है । प्रक्रिया निम्नांकित प्रकार है :-

(क) मृतकों के परिजनों से मृत्यु की सूचना उत्तराखंड से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ प्राप्त होने की स्थिति में उचित पहचान कर संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा मृतक के आश्रितों को अनुग्रह उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ख) परन्तु ऐसे मामले जिनमें मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो के संबंध में मृतक के परिजनों से मृत्यु संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में उक्त व्यक्ति कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में मृत होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित करायी जायेगी तथा 30 दिनों तक प्रतीक्षा की जायेगी । उक्त अवधि में संबंधित व्यक्ति के जीवित होने की सूचना प्राप्त नहीं होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ग) संबंधित अंचलाधिकारी से आश्रित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ।

अतएव उत्तराखंड मे जून 13 में घटित प्राकृतिक घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों से अनुरोध किया गया है कि वे शीघ्रतिशीघ्र उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अपने जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन पत्र दें । आवेदक अपने आश्रित होने का भी प्रमाण-पत्र देंगे ।

संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि किन्हीं से भी आवेदन प्राप्त होने पर उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग से यथानुसार राशि की मांग कर त्वरित भुगतान सुनिश्चित करेंगे ।

अनुग्रह अनुदान के भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग में संचालित राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष, जिसका दूरभाष सं०(टेली फ़ैक्स)-0612-2217305 है, को सूचित किया जा सकता है ।

अतएव, माननीय स०वि०स० के साथ गये जिन लोगों के मृत/लापता होने की सूचना है उनके आश्रित तदनुसार अनुग्रह अनुदान प्राप्त कर सकते हैं ।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०ध्या०-114/2013 /...../आ०प्र०, पटना-15, दिनांक -

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक -1216 दिनांक -29.07.2013 जो गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना से हस्तांतरित होकर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त हुआ है, के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि०स०ध्या०-114/2013 /.....⁸⁴²⁶...../आ०प्र०, पटना-15, दिनांक - 8/8/13,

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी